

पालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

राजेश्वर

बनाम

दुर्गा प्रसाद

मुकदमा

273/2013

मु. नं०

डी. 177 ई वर्ष

दिनांक	आज्ञा पत्र	
--------	------------	--

87/10/23

पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। शीतसीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वोक्तानुसार दिनांक 7/12/23 को पेश हो। *संश्लेषित सिविल प्रो. डि. 177/13*

7/12/23

पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। शीतसीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वोक्तानुसार दिनांक 19/12/23 को पेश हो। 3

14/12/23

मिश्रालतलवी के आवेदन पर पत्रावली पेश की गई। वकील शार्दीगण श्री विजय शर्मा व वकील अशार्दीगण श्री कैलाश सोनी उपस्थित शार्दी 1/2 देवीप्रसाद उपस्थित तथा शार्दीगण 1/1 व 1/4 की ओर से मुख्तयार खास देवीप्रसाद उपस्थित। अशार्दी संख्या 01 दुर्गाप्रसाद उपस्थित। अशार्दी संख्या 02 की ओर से उनके मुख्तयार खास दुर्गाप्रसाद उपस्थित। अशार्दी संख्या 03 लक्ष्मीप्रसाद स्वयं उपस्थित। अशार्दी संख्या 04 के वारिसान अशार्दी संख्या 27 मनीष उपस्थित तथा अशार्दी संख्या 24, 25, 26 व 28 की ओर से उनके मुख्तयार खास मनीष उपस्थित। शार्दीगण की पहचान अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा व अशार्दीगण की पहचान अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द सोनी द्वारा की गई। शार्दीगण व अशार्दीगण ने राजीनामा प्रस्तुत किया भी पत्रावली में राजीनामा को पक्षकारान को पढ़कर सुनाया गया तो सही होता पाया गया। अतः शार्दीगण व अशार्दीगण ने पक्षकारान को पढ़कर सुनाया है कि पक्षकारान के महय समझौता हो गया है, प्रकरण को आगे नहीं चलाया चाहते हैं। पक्षकारान को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। कुंठि पक्षकारानों के महय राजीनामा हो गया है। अतः शार्दीगण का शार्दीना-पत्र इसी स्थिति पर खारिज किया जाता है। पत्रावली आई-दा पेश होने की अपेक्षा नहीं है। पत्रावली फैसल कुमार डोकूर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

Dari Board
J. K. Sharma
V. K. Sharma

दुर्गा प्रसाद
Prakash Chandra
Prakash Chandra

Manoj
Manoj